राजस्थान सरकार

निदेशालय,समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक : एफ 11 (3) ( ) मो./ आईसीडीएस/2003–04 91767-91800

जयपुर, दिनांक 12/7/16

उप निदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,

समस्त।

विषयः– भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को भवन उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्रांक प. 11(3) मो./आईसीडीएस/23957–989 जयपुर दिनांक 31.03.2015 ,68748–780 दिनांक 23.07.2015 व 113148–149 दिनांक 14.12.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विधालयों का एकीकरण/समानीकरण करते हुए ऐसे विधालय, जहॉ बच्चों की संख्या बहुत कम थी को बंद करने या अन्य नजदीकी विधालयों में विलय करने के आदेश दिये गये थे।

इन आदेशों की अनुपालना में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की संयुक्त बैठक करवाकर जिलों में समानीकरण के तहत खाली हुए विधालयों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवंटित कराने के संदर्भ में लिखा गया था। लेकिन आशा के अनरूप प्रगति आज दिनांक तक अपेक्षित है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर समानीकरण के तहत खाली हुए विधालयों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवंटित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज. जयपुर

समेकित बाल विकास सेवाएँ, 2, जलपथ गाँधीनगर, जयपुर
website-www.wcd.rajasthan.gov.in (Tel-Fax 0141-2700281) T.N.-0141-2713630